प्रेस नोट

थाना मोठ, जनपद झाँसी

दिनांक : 08.06.2026

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही।**
- **सोशल मीडिया पर अवैध असलहा लहराते हुए रील बनाने वाले युवक को थाना मोठ पुलिस द्वारा किया गयागिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर एवं 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद।**
- **अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोठ पर आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ व पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी, श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी, श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 07.06.2026 को चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना मोठ पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध असलहा लहराते हुए रील बनाने का वायरल वीडियो संज्ञान में लेकर कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अमित वर्मा उर्फ गोटिया पुत्र महेशचन्द्र निवासी वेदनगर, कस्बा एवं थाना मोठ, जनपद झाँसी, उम्र करीब 25 वर्ष को समय करीब 17:25 बजे खिरिया घाट क्षेत्र थाना मोठ, झाँसी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर एवं 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद।

बरामदगी के आधार पर थाना मोठ पर मु0अ0सं0 95/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.अमित वर्मा उर्फ गोटिया पुत्र महेशचन्द्र, निवासी वेदनगर, कस्बा एवं थाना मोठ, जनपद झाँसी, उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर।
- 01 जिंदा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 रजनीकान्त, थाना मोठ, जनपद झाँसी।
हे0का0 419 दीप तिवारी, थाना मोठ, जनपद झाँसी।
का0 337 राहुल यादव, थाना मोठ, जनपद झाँसी।
का0 912 कमलेश कुमार, थाना मोठ, जनपद झाँसी।